प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल कॉम्पलेक्स,
19—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/JSSK/41/2018—19/ 6174-10 दिनांक 6/09/18

विषय— प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 01 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है दिनांक 03.03.2017 को अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मेडिकल कालेजों के **प्रधानाचार्य एवं नामित प्रतिनिधियों के साथ** आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा चयनित मेडिकल कालेजों में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2017—18 में इस कार्यालय के पत्र संख्या—**एस0पी0एम0यू0/CH/JSSK/41/2017—18/9113—10, दिनांक 30.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से** शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018—19 की आर0ओ0पी0 के New FMR Code-6.4.4 and old FMR Code-A.2.9.1 पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो जांच **मेडिकल कालेजों** में उचित इलाज प्रदान करने हेतु नहीं हो पा रहीं है वह जांच अन्य चिकित्सालयों/संस्थानों से कराने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018—19 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदन के क्रम में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से प्रदेश के चयनित 10 मेडिकल कालेजों/मेडिकल यूनिवर्सिटी/चिकित्सा संस्थान के बालरोग विभाग को नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

Financial support towards laboratary support (Diagnostic) to medical College under JSSK Programme FY 2018-19

S. N.	District	Name of Unit		Unit	Unit Cost	Total Funds Released to DHS (Amount in Lakh)
		New FMR Code-6.4.4	old FMR CodeA.2.9.1			
1	Agra	Dept. of Pedia., SN Medical College, Agra		1	500000	5.00
2	Aligarh	Dept. of Pedia., JN Medical College, AMU Aligarh		1	1000000	10.00
3	Allahabad	Dept. of Pedia., MLN Medical College, Allahabad		1	500000	5.00
4	Etawah	Dept. of Pedia., UP University of Medical Science Saifai, Etawah		1	500000	5.00
5	Gorakhpur	Dept. of Pedia., BRD Medical College, Gorakhpur		1	1000000	10.00
6	Jhansi	Dept. of Pedia., MLB Medical College, Jhansi		1	500000	5.00
7	Kanpur Nagar	Dept. of Pedia., GSVM Medical College, Kanpur		1	1000000	10.00
8	Lucknow	Dept. of Pedia., KGMU, Lucknow		1	1000000	10.00
9	Meerut	Dept. of Pedia., LLR Medical College, Meerut		1	500000	5.00
10	Varanasi	Dept. of Pedia., IMS BHU, Varanasi		1	1000000	10.00
	Total Fund Released to DHS (In Lacs)			10	7500000	75.00

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के चयनित 10 मेडिकल कालेजों/मेडिकल यूनिवर्सिटी /चिकित्सा संस्थान के बालरोग विभाग में 0 से 1 वर्ष तक के सभी उपचारित बच्चों का आउटडोर एवं भर्ती बच्चों का रिकार्ड अलग–अलग रखा जाये। भविष्य में भर्ती बीमार बच्चों की संख्या एवं उपचारित काम्प्लीकेशन के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायी जा सके तथा सूचना भारत सरकार को भी उपलब्ध करायी जा सके। गतिविधि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल–jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल–gmchildhealthnrhm@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/JSSK / 41 / 2018–19 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. **महानिदेशक,** चिकित्सा शिक्षा **जवाहर भवन**, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ** / अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़** / उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा।**
7. **निदेशक,** आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, **वाराणसी**
8. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
9. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद** / एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ** / एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा** / जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर** / बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर** / आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झॉसी।**
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग,** किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ** / जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ़** / एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद** / एल0एल0 आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ** / एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा** / जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज **कानपुर** / बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर** / आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झॉसी,** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा एवं** आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 **वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/JSSK/41/2018–19/ दिनांक 6/09/18

विषय– प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 01 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है दिनांक 03.03.2017 को अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मेडिकल कालेजों के **प्रधानाचार्य एवं नामित प्रतिनिधियों के साथ** आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा चयनित मेडिकल कालेजों में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस कार्यालय के पत्र संख्या–**एस0पी0एम0यू0/CH/JSSK/41/2017–18/9113–10, दिनांक 30.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से** शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के New FMR Code-6.4.4 and old FMR Code-A.2.9.1 पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो जांच **मेडिकल कालेजों** में उचित इलाज प्रदान करने हेतु नहीं हो पा रहीं है वह जांच अन्य चिकित्सालयों/संस्थानों से कराने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदन के क्रम में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से प्रदेश के चयनित 10 मेडिकल कालेजों/मेडिकल यूनिवर्सिटी/चिकित्सा संस्थान के बालरोग विभाग को नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

Financial support towards laboratary support (Diagnostic) to medical College under JSSK Programme FY 2018-19

S. N.	District	Name of Unit		Unit	Unit Cost	Total Funds Released to DHS (Amount in Lakh)
		New FMR Code-6.4.4	old FMR CodeA.2.9.1			
1	Agra	Dept. of Pedia., SN Medical College, Agra		1	500000	5.00
2	Aligarh	Dept. of Pedia., JN Medical College, AMU Aligarh		1	1000000	10.00
3	Allahabad	Dept. of Pedia., MLN Medical College, Allahabad		1	500000	5.00
4	Etawah	Dept. of Pedia., UP University of Medical Science Saifai, Etawah		1	500000	5.00
5	Gorakhpur	Dept. of Pedia., BRD Medical College, Gorakhpur		1	1000000	10.00
6	Jhansi	Dept. of Pedia., MLB Medical College, Jhansi		1	500000	5.00
7	Kanpur Nagar	Dept. of Pedia., GSVM Medical College, Kanpur		1	1000000	10.00
8	Lucknow	Dept. of Pedia., KGMU, Lucknow		1	1000000	10.00
9	Meerut	Dept. of Pedia., LLR Medical College, Meerut		1	500000	5.00
10	Varanasi	Dept. of Pedia., IMS BHU, Varanasi		1	1000000	10.00
	Total Fund Released to DHS (In Lacs)			10	7500000	75.00

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के चयनित 10 मेडिकल कालेजों/मेडिकल यूनिवर्सिटी /चिकित्सा संस्थान के बालरोग विभाग में 0 से 1 वर्ष तक के सभी उपचारित बच्चों का आउटडोर एवं भर्ती बच्चों का रिकार्ड अलग–अलग रखा जाये। भविष्य में भर्ती बीमार बच्चों की संख्या एवं उपचारित काम्प्लीकेशन के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायी जा सके तथा सूचना भारत सरकार को भी उपलब्ध करायी जा सके। गतिविधि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल–jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल–gmchildhealthnrhm@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/JSSK / 41 / 2018–19 / 6174-10 (13) दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. **महानिदेशक,** चिकित्सा शिक्षा **जवाहर भवन**, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ** / अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, **अलीगढ़** / उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा।**
7. **निदेशक,** आई0एम0एस0–बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, **वाराणसी**
8. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
9. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
10. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद** / एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ** / एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा** / जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज **कानपुर** / बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर** / आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झॉसी।**
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, **लखनऊ** / जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ़** / एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज **इलाहाबाद** / एल0एल0 आर0एम0, मेडिकल कॉलेज **मेरठ** / एस0एन0, मेडिकल कॉलेज **आगरा** / जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज **कानपुर** / बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर** / आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज **झॉसी,** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, **सैफई, इटावा एवं** आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 **वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य